

31-8-21

कमुलाम अना पक्षकारान उपरिवात वकील प्रार्थिगणी जवाब हेतु अवसर मांते है। वकील अप्रार्थि जवाब के लिए पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके है। न्यायालय में अन्तिम अवसर दिया जाता है। प्रीप अप्रार्थि की सहायी नैगीम सहायता मय रजिस्टर्ड टाक सिफाके आज ही पेश करे वीथीम सहायता मय रजिस्टर्ड टाक सिफाके पेश होने पर तामील जारी की जाकर पलावली दिनांक 11-10-21 को पेश हो।

12/21  
27/21  
इसका तारीख देती है कि यह आज पेश हुई। कमुलाम कतिपय कारणों/पीडा अधिकारी ली/अना न्यायालय/पीडिंग में है। पलावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11-10-21 को पेश हो।

दिलीप सिंह  
राजस्थान हाईकोर्ट (फास्ट ट्रेक)  
जुद्धाशक्त कलक्टर (फास्ट ट्रेक)



18.02.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने न्यायालय के आदेशों व तलबी हेतु वर्ष 2006 से दिये गये 97 अवशरों के बावजूद भी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाना आज दिनांक तक भी पेश नही किया गया है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 9नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारीज की जाती है। पत्रावली फौशल शुमार होकर बाद तकगील दाखिल दफतर हो।



*(Signature)*  
दिलीप सिंह

राजस्थान कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर